an>

Title: Regarding Lal-Dora areas of Rural Delhi

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार का ध्यान दिल्ली सरकार की तरफ दिलाने के लिए निवेदन करना चाहता हूँ। राजधानी दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों की समस्याओं की तरफ ध्यान आकर्Âि◌ात करना मैं अपना फर्ज़ समझता हूँ। दिल्ली राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में सन् 1908-09 में अंग्रेजो के शासन काल के दौरान जमीन की बंदोबस्ती की गई, जिसके द्वारा गांवों की सीमा निर्धारित की गई थी, जिसे लाल डोरे का नाम दिया गया था। लाल डोरे की परिधि में आने वाले लोगों को मालिकाना हक दिया गया, जिसके अनुसार उस क्षेत्र में भूसा डालने के कोठे बनाने व पशुपालन हेतु छप्पर डालने आदि की छूट दी गई, जिसके लिए नक्शा आदि की आवश्यकता नहीं थी, जरूरत के हिसाब से एक-दो मंजिला मकान बनाने, व्यवसाय, धंधे आदि की भी छूट दी गई। इन सभी पर कोई हाउस-टैक्स या प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगाया गया। इसके पश्चात् सन् 1952-53 में चकबंदी के द्वारा लालडोरे को ग्रामीण क्षेत्रों की बढ़ती हुई आबादी के अनुसार बढ़ाया गया। सन् 1963 में बिल्डिंग बॉयलॉज के अनुसार दिल्ली में लाला डोरा/एक्सटैंडिड लालडोरे के प्लॉटों के अंदर की कुछ छूट दी गई। परंतु उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में यह विचारणीय है कि जिस तरह से दिल्ली की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, उसके अनुसार दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को विस्तार हेतु पर्याप्त जमीन चाहिए। परिवार दिन प्रति दिन बढ़ रहे हैं और जमीन कम होती जा रही है।

इस समस्या के निदान हेतु भारत सरकार द्वारा तेजेन्द्र खन्ना समिति का गठन किया गया था, जिसने दिनांक 13 मई 2006 को अपनी रिपोर्ट ग्रामीण क्षेत्रों की बढ़ती हुई आबादी को लेकर और लाल डोरे की व्यवस्था के कारण जमीन की अनुपलब्धता को स्वीकार किया था तथा जन सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए लाल डोरे/एक्सटेंडेड लाल डोरे में भविÂय के निर्माण के लिए उचित नियमन हेतु वहाँ किए गए विभिन्न निर्माणों को ध्यान में रखते हुए कई सुझाव दिए थे। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि वÂाऩ 2007 में तत्कालीन सरकार द्वारा भी कुछ कदम उठाए जाने की खबरें थीं, जिसके अनुसार लाल डोरा बढ़ाने हेतु पहला रास्ता चकबंदी करना अथवा भूमि सुधार अधिनियम की धारा 23(3) के द्वारा माननीय उपराज्यपाल की अनुमति लेना था, परन्तु अत्यंत खेद का विÂाय यह है कि इस संबंध में ना ही तेजेन्द्र खन्ना रिपोर्ट के सुझावों पर कोई कार्यवाही हुई और ना ही पूर्ववर्ती सरकारों ने भूमि सुधार अधिनियम के अनुसार कोई उचित कदम उठाया है। इसका परिणाम यह हुआ कि आज इस समस्या ने विकराल रूप धारण कर लिया है। दिल्ली प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र की जनता की आबादी बढ़ने से अब अगर वे अपने खेतों में अपना घर बनाते हैं, एक्सटेंडेड ईयर में बनाते हैं, वहाँ एसडीएम, एडीएम, तहसीलदार उन लोगों से मकान गिराने के नाम पर पैसा वसूल करते हैं।

मैं केन्द्र सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि यह दिल्ली सरकार का विÂाय है। हरिश्चन्द्र के नाम से, दिल्ली में विकास के नाम से एक मुख्यमंत्री आए, उन्होंने केवल लोगों को... □किया। उनको 6 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने एक भी प्रस्ताव केन्द्र के पास नहीं भेजा है। केन्द्र सरकार से मेरा निवेदन है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर है, इसलिए वह उनको आदेश दे और अगर दिल्ली सरकार इस पर कार्रवाई नहीं करे, तो केन्द्र सरकार सीधे अधिकारियों को आदेश दे, लेफ्टिनेंट गवर्नर को कि उनके लाल डोरे के एक्सटेंडेड एरिया में उनको मकान बनाने की इजाजत दी जाए। जो लोगों को लूटा जा रहा है, मकान गिराने के नाम पर उन्हें डराकर पैसे लिए जा रहे हैं, जमीनों को ग्राम सभा में वेस्ट कर दिया जाता है, उससे उन लोगों को छुटकारा मिले और दिल्ली में भ्रÂाटाचार पर रोक लगे। जिस भ्रÂाटाचार के नाम पर वह सरकार बनकर आई थी, उस सरकार को कम से कम केन्द्र सरकार यह एहसास दिलाए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।